राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– एफ 25(45)/परि/कम्प्यू/पार्ट–II/12/ 5033 जयपुर, दिनांकः 14-3-16

कार्यालय आदेश 5 /2016

कतिपय प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा यह सूचित किया गया है कि उनके कार्यालय में निक्सी (NICSI) द्वारा स्मार्ट कार्ड हेतु अधिकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा समय पर स्मार्ट कार्डों की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप आमजन को स्मार्ट कार्ड आधारित सेवाएं उपलब्ध करवाने में विलम्ब हो रहा है। इस सम्बन्ध में दिनांक 03.03.2016 को परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव के स्तर पर निक्सी के अधिकारियों एंव सेवा प्रदाता फर्मों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में स्मार्ट कार्ड की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु चर्चा की गई। राज्य के सभी परिवहन कार्यालयों में माह जुलाई 2015 से माह सितम्बर 2015 त्रैमास में स्मार्ट कार्डों के वास्तविक उपभोग के आधार पर प्रत्येक कार्यालय में प्रतिदिन जारी किये जाने वाले स्मार्ट कार्डों के औसत की गणना भी की गई जिसका विवरण **परिशिष्ठ 1** पर संलग्न है।

2. परिवहन कार्यालयों में स्मार्ट कार्ड आधारित वाहन पंजीयन एवं वाहन चालक लाईसेंस जारी करने के सम्बन्ध में पूर्व में समसंख्यक आदेश क्रमांक 03/2014, दिनांक 27.01.2014 द्वारा विस्तृत आदेश जारी किये गये थे। इस आदेश द्वारा ब्लैंक एवं प्रिन्टेड स्मार्ट कार्ड के लेखा संधारण एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये थे। ऐसा पाया गया है कि अधिकांश परिवहन कार्यालयों में इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप परिवहन कार्यालयों में अकस्मात स्मार्ट कार्डों की कमी की समस्या उत्पन्न हो रही है। उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 6 में सेवा प्रदाता का दायित्व भी निर्धारित किया गया हैं तथा इस बाबत यह स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी कि वह सम्बन्धित कार्यालय के लिए आवश्यक ब्लैंक कार्ड का स्टोक रखे।

3. उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुए एवं भविष्य में सभी कार्यालयों में ब्लैंक स्मार्ट कार्डों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को निम्न निर्देश जारी किये जाते है।

(1) कार्यालय आदेश संख्या 03/2014 में वर्णित आदेश एवं इस आदेश में स्मार्ट कार्डों के लेखा संधारण एवं सुरक्षा सम्बन्धी आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

(2) समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी सर्वप्रथम उनके यहां स्मार्ट कार्ड सम्बन्धी लम्बित आवेदन पत्रों हेतु आवश्यक संख्या में ब्लैंक स्मार्ट कार्ड सम्बन्धित सेवा प्रदाता से एक मुश्त प्राप्त कर लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण करेंगे। इस हेतु सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी

--2

सम्बन्धित सेवा प्रदाता को दिनांक 15.03.2016 तक लिखित में सूचित करेंगे।

(3) ऊपर वर्णित बिन्दु संख्या (2) की लिखित सूचना के साथ ही संबंधित अधिकारी <u>परिशिष्ठ 1</u> में वर्णित स्मार्ट कार्ड के प्रतिदिन औसत उपयोग के आधार पर आगामी 30 दिवस की आवश्यकता के बराबर ब्लैंक स्मार्ट कार्ड की आपूर्ति हेतु भी सम्बन्धित सेवा प्रदाता को लिखित में सूचित करेंगे तथा सेवा प्रदाता द्वारा आवश्यक संख्या में ब्लैंक स्मार्ट कार्डों की आपूर्ति तीन दिवस के अन्दर की जायेगी।

(4) सेवा प्रदाता द्वारा 30 दिवस की आवश्यकता के अनुरूप गैर परिवहन यानों, परिवहन यानों एवं चालक लाईसेंस के ब्लैंक स्मार्ट कार्ड सम्बन्धित कार्यालय में उपलब्ध करवाये जायेंगे जिसका ईन्द्राज इस हेतु अधिकृत कर्मचारी द्वारा विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 3/2014 के बिन्दु संख्या 4(i) पर वर्णित रजिस्टर में आवश्यक रूप से किया जायेगा।

(5) बिन्दु संख्या (4) में वर्णित अधिकृत कर्मचारी द्वारा संबंधित शाखाओं को उनकी प्रतिदिन औसत आवश्यकता के अनुसार ब्लैंक स्मार्ट कार्ड जारी किये जायेंगे तथा इस प्रकार से जारी ब्लैंक कार्डों का शाखा वार इन्द्राज अधिकृत कर्मचारी द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 3/2014 के बिन्दु संख्या 4(ii) में वर्णित प्रारूप के अनुसार किया जायेगा तथा संबंधित शाखा के लिपिक द्वारा प्राप्त ब्लैंक स्मार्ट कार्डों का ईन्द्राज एक रजिस्टर में निम्न प्रारूप में संधारित किया जायेगा।

क्र. सं.	अधिकृत लिपिक से प्राप्त ब्लैंक स्मार्टकार्ड की दिनांक	ब्लैंक स्मार्ट कार्ड का श्रेणीवार प्रकार	प्राप्त स्मार्ट कार्ड का सीरियल नं..से..तक	कुल प्राप्त कार्ड	सेवा प्रदाता को जारी ब्लैंक कार्डों की संख्या	सेवा प्रदाता को जारी ब्लैंक स्मार्ट कार्डो कीं दिनांक एवं समय	सेवा प्रदाता से प्राप्त प्रिंटेड स्मार्ट कार्डो की संख्या मय समय एवं दिनांक	सेवा प्रदाता से प्राप्त होने वाले शेष कार्डों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(6) संबंधित शाखा लिपिक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु आवश्यक संख्या में ब्लैंक स्मार्ट कार्ड सेवा प्रदाता के अधिकृत व्यक्ति को प्रिन्ट करने हेतु उपलब्ध करवाकर पुनः प्राप्त किये जावें जिसका उल्लेख ऊपर वर्णित बिन्दु संख्या (5) में वर्णित रजिस्टर में किया जायेगा वंही सेवा प्रदाता द्वारा प्रिन्ट किये गये कार्डों का कार्यालय आदेश संख्या 03/2014 के बिन्दु संख्या 5 के अनुरूप संधारण किया जायेगा।

(7) ऊपर वर्णित बिन्दु संख्या (4) में वर्णित लिपिक द्वारा ब्लैंक स्मार्ट कार्डों का लेखा जोखा प्रतिदिन संधारित किया जायेगा एवं इन्वेन्ट्री रजिस्टर में जब ब्लैंक स्मार्ट कार्डों की संख्या घट कर लगभग 15 दिवस की औसत आवश्यकता के बराबर हो जाये तो इसकी सूचना अविलम्ब कार्यालयअध्यक्ष

--- 3

को देगा। कार्यालयअध्यक्ष अविलम्ब 15 दिवस की औसत ब्लैंक कार्डों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित सेवा प्रदाता के स्थानीय प्रतिनिधी को लिखित में निर्देश प्रदान करेगा तथा इस पत्र की एक प्रति transport.it@rajasthan.gov.in पर भी प्रेषित करेगा।

(8) सेवा प्रदाता के स्थानीय प्रतिनिधी द्वारा अविलम्ब ब्लैंक कार्डों की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। सेवा प्रदाता द्वारा ब्लैंक स्मार्ट कार्डों की आपूर्ति में विलम्ब के परिणामस्वरूप आमजन के कार्यों के निस्तारण में अगर विलम्ब उत्पन्न होता है तो इसे सेवा दोष माना जायेगा तथा सेवा प्रदाता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(9) सेवा प्रदाता कंपनी को कतिपय परिवहन कार्यालयों में स्वतंत्ररूप से कमरा उपलब्ध नही करवाया गया है। सभी कार्यालयों में सेवा प्रदाता को एक कमरा उपलब्ध करवाया जावे। यह कमरा ऐसा हो जहां आमजन का प्रवेश निषिद्ध हो।

(10) यह भी पाया गया है कि कतिपय परिवहन कार्यालयों द्वारा एक मुश्त डेटा सेवा प्रदाता को उपलब्ध करवाया जाता है जिससे उनके द्वारा निर्धारित समयावधी में कार्ड प्रिंट किया जाना संभव नही हो पाता है। अतः परिवहन कार्यालयों द्वारा नियमित रूप से नियमित अंतराल पर डेटा सेवा प्रदाता को उपलब्ध करवाया जाये।

(11) सभी कार्यालयअध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्यालय की विभिन्न शाखाओं से नियमित अंतराल पर डेटा सेवा प्रदाता को उपलब्ध करवाया जावे। कार्यालयअध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिदिन कार्यालय अवधी समाप्त होने से पूर्व सभी शाखा लिपिक एक प्रमाणपत्र सेवा प्रदाता के अधीकृत प्रतिनिधी को दे जिसमें इस बात का उल्लेख करें कि उनके द्वारा सेवा प्रदाता को कितने ब्लैंक स्मार्ट कार्ड जारी किये गये तथा कितने स्मार्ट कार्ड सेवा प्रदाता द्वारा प्रिंट कर वापस लौटाये गये। इस प्रमाण पत्र में ब्लैंक कार्ड देने एवं प्रिंटेड स्मार्ट कार्ड प्राप्त करने की दिनांक के साथ समय का भी आवश्यक रूप से अंकन किया जाये ताकि सेवा प्रदान करने में हुए विलंब का आकलन रिकार्ड के आधार पर किया जाना संभव हो सके।

(12) ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं कि शाखा लिपिकों द्वारा सेवा प्रदाता के अधिकृत प्रतिनिधी को ब्लैंक स्मार्ट कार्ड विलम्ब से उपलब्ध करवाये जाते है, कई बार सेवा प्रदाता द्वारा शाखा में लौटाये गये प्रिंटेड कार्ड की पावती भी नहीं दी जाती है। जिससे सेवा प्रदाता पर सेवा दोष की शास्ती गुणावगुण के आधार पर आरोपित करने में परेशानी होती है। इस व्यवस्था को पारदर्शी करने हेतु यह निर्देशित किया जात है कि शाखा लिपिक/कर्मचारी द्वारा दी जाने वाली प्रत्येक पावती पर दिनांक के अतिरिक्त समय भी अंकित किया

---4

जावे। भविष्य में इस आदेश की पालना नहीं करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(13) सेवा प्रदाता द्वारा स्मार्ट कार्ड प्रिंट कर संबंधित शाखा को के.एम.एस. (KMS) हेतु पुनः कार्ड लौटाये जाते है। प्रिंटेड कार्डों का KMS करने के पश्चात कार्डों के वितरण का कार्य विभागीय कर्मचारी द्वारा ही किया जावे। इन कार्डों के वितरण का कार्य किसी भी परिस्थिती में किसी निजी व्यक्ती/सेवा प्रदाता के व्यक्ती द्वारा नहीं किया जायेगा। स्मार्ट कार्ड वितरण का कार्य किसी भी परिवहन कार्यालय में अगर किसी निजी व्यक्ती, सेवा प्रदाता के व्यक्ती अथवा किसी भी अनाधिकृत व्यक्ती द्वारा करते हुये पाये जाने पर स्मार्ट कार्ड के वितरण हेतु उत्तरदायी संबंधित लिपिक के विरूद्ध एवं संबंधित कार्यालय के कार्यालयअध्यक्ष के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(14) प्रायः यह भी देखा गया है कि सेवा प्रदाता के बिलों के सत्यापन का कार्य भी संबंधित कार्यालयों द्वारा किसी निर्धारित समयावधी में नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण NICSI को इन सेवा प्रदाताओं को समय पर भुगतान करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः बिलों के सत्यापन अवधी में एकरूपता लाने के उद्देश्य से सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता कि वे प्रत्येक माह का बिल आगामी माह की 5 तारीख तक आवश्यक रूप से सत्यापित करेंगे। बिलों के सत्यापन हेतु वे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(14) समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी दिनांक 31.03.2016 तक चालक लाइसेंस एवं इससे संबंधित सेवाऐं आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथी को ही दी जानी सुनिश्चित करेंगे। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु पृथक से भी आदेश जारी किये जा रहे है।

उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

(पवन कुमार गोयल)
परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक :– एफ 25(45)/परि/कम्प्यू/पार्ट–II/12/ 5034-44 जयपुर, दिनांकः 14-3-16

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–</u>

1. निजी सचिव परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
2. समस्त अपर परिवहन आयुक्त।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण

4. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, एस.ए. को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
7. महाप्रबंधक, NICSI, दिल्ली।
8. वरिष्ठ प्रबन्ध, NICSI, राजस्थान।
9. Managing Director, M-Tech, Innovations Pvt. Ltd., Plot No. p-1/2, Rajiv Gandhi Infotech Park, Phase-1, Hinjewadi, Pune-411057
10. Vice-President, Sales and Marketing, Rosemerta Technologies Pvt. Ltd. 137, Udyog Vihar, Phase -1, Gurgaon-122016
11. रक्षित प्रत्रावली।

14/3

(हंस कुमार शर्मा)
अपर परिवहन आयुक्त (आई.टी.)

परिशिष्ठ–1

परिवहन कार्यालयवार प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले औसत स्मार्ट कार्ड की संख्या

M/s Rosmerta Technologies					
	जारी स्मार्ट कार्ड की संख्या			कार्यालय दिवस 64	
कार्यालय का नाम	जुलाई 2015	अगस्त 2015	सितम्बर 2015	कुल	प्रतिदिन औसत
1	2	3	4	5	6
Ajmer	8140	6680	7550	22370	**350**
Kishangarh	2040	1819	1748	5607	**88**
Nagaur	6049	6340	6176	18565	**290**
Beawar	2734	3324	3052	9110	**142**
Tonk	6190	6518	4956	17664	**276**
Didwana	4679	3223	5536	13438	**210**
Kotputli	2227	2312	2152	6691	**105**
Chomu	2520	2504	1872	6896	**108**
Jodhpur	18590	18067	18348	55005	**859**
Barmer	4601	4891	4589	14081	**220**
Balotra	2567	2258	2251	7076	**111**
Phalodi	1336	1721	1646	4703	**73**
Jaisalmer	1970	1672	1683	5325	**83**
Kota	9184	9395	8369	26948	**421**
Jhalawar	4021	3588	3209	10818	**169**
Bundi	4732	3904	2850	11486	**179**
Baran	3705	3988	3536	11229	**175**
Ramganj Mandi	1781	1305	1784	4870	**76**
Chittorgarh	7078	7066	6420	20564	**321**
Pratapgarh	1424	1187	1662	4273	**67**
Bhilwara	9513	9241	7929	26683	**417**
Udaipur	12925	11712	12008	36645	**573**
Banswara	4155	3819	3200	11174	**175**
Dungarpur	2518	3595	3296	9409	**147**
Rajsamand	3825	3989	2815	10629	**166**
Kekri	1886	1782	1620	5288	**83**
Shahpura (B)	2633	2525	2682	7840	**123**
Shahpura (J)	1615	1599	1901	5115	**80**
	134638	**130024**	**124840**	**389502**	**6086**

परिशिष्ठ–1

परिवहन कार्यालयवार प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले औसत स्मार्ट कार्ड की संख्या

M/s M.Tech Innovations					
	जारी स्मार्ट कार्ड की संख्या			कार्यालय दिवस 64	
कार्यालय का नाम	जुलाई 2015	अगस्त 2015	सितम्बर 2015	कुल	प्रतिदिन औसत
1	2	3	4	5	6
Jaipur -Jagtpura	8630	8646	8705	25981	**406**
Jaipur (Jhalana)	23319	20473	25994	69786	**1090**
Jaipur(VN)	5679	4665	4908	15252	**238**
Dausa	6427	4347	4939	15713	**246**
Dholpur	3625	2574	3759	9958	**156**
Sujangarh	1394	1124	1839	4357	**68**
Jalore	3042	2304	3083	8429	**132**
Churu	5827	3871	4901	14599	**228**
Pali	9507	6273	7309	23089	**361**
Abu Road	1349	1402	1212	3963	**62**
Sikar	9941	8238	10844	29023	**453**
Bikaner	7045	6122	8442	21609	**338**
Sri-Ganganagar	7865	7634	10064	25563	**399**
Hanumangarh	4418	4246	5265	13929	**218**
Sirohi	2599	2478	2232	7309	**114**
Alwar	13207	8512	13387	35106	**549**
Bharatpur	7955	6466	7699	22120	**346**
Jhunjhunu	9992	6287	12754	29033	**454**
Karoli	3735	1598	2998	8331	**130**
S.Madhopur	4518	3538	3979	12035	**188**
Bhiwadi	2324	1610	2349	6283	**98**
Nohar	2819	1917	2339	7075	**111**
Nokha	1525	982	1513	4020	**63**
Bhinmal	2060	2365	2298	6723	**105**
Dudu	2797	1965	1899	6661	**104**
	151599	**119637**	**154711**	**425947**	**6655**